अंक ५७

नई दिल्ली, नवम्बर २०१४

[निजी प्रसार के लिए]

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

श्री राम सिंह

इंस्पेक्टर राम सिंह, थाना प्रभारी थाना माणकपुर, जयपुर, राजस्थान से ज़ीनत मलिक द्वारा टेलिफ़ोन पर लिये गये साक्षात्कार को पाठकों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इस साक्षात्कार द्वारा थाना स्तर पर विशेष प्रकार के मुद्दों को उस दृष्टिकोण से समझने का अवसर मिलेगा पुलिस बल के जिस विशेष भाग को हम साक्षात्कार द्वारा प्रेरणा और मार्गदर्शन दिलवाने का प्रयास करते रहे हैं। यह नया दृष्टिकोण इसलिए है क्योंकि इस बार का साक्षात्कार स्वंय थाना को संभालने वाले एक मुख्य पुलिस अधिकारी का है। राम सिंह जी अपने १८ वर्षों की पुलिस सेवा में १५ वर्षों से राजस्थान के विभिन्न थानों में थाना अध्यक्ष का कार्यभार संभालते आ रहे हैं। आईये उनके विचारों को समझें:–

एक थाना प्रभारी को कई भूमिकाओं को एक साथ निभाना पड़ता है जैसे कि–एक प्रशासक, पर्यवेक्षक और जांच अधिकारी, इनमें से आपको सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण कौन सा दायित्व लगता है?

थाना प्रभारी की तीन प्रमुख भूमिका होती है जैसा कि आपने भी बताया है। प्रत्येक विभाग बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी विभाग को दूसरे से कम महत्वपूर्ण नहीं कह सकते। एक थाने को अच्छी तरह से चलाने के लिए सभी विभागों पर पूरी तरह ध्यान देना आवश्यक है। सबसे अधिक समय पर्यवेक्षण पर देने की आवश्यकता होती है और सब इंस्पेक्टर, ए.एस.आई., हेड कांस्टेबल जो केस पर जांच करते हैं अगर उन्हें प्रतिदिन के स्तर पर मॉनिटर न किये जाए तो वह उचित परिणाम तक नहीं पहुँच पाऐंगे और पीड़ित का नुकसान होगा। उसके बाद स्टाफ का अनुशासन है, उनकी डेली रिपोर्ट होती है जिसे देखना पड़ता है।

उसके बाद जाँच अधिकारी के रूप में अपराधों को घटित होने के पहले रोकना और यदि घटित हो जाए तो अपराधी का पता लगाना, यह सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं।

अगर कोई आम आदमी है तो वह तो मुझे १० बार फोन करके अपने केस के बारे में पूछ सकता है, ऐसे में मेरा कर्तव्य है उसे उचित जानकारी भी देना। अर्थात् कोई भी एक भूमिका एक समय पर अकेले निभाई जाए एक थाना प्रभारी के लिए ऐसा सम्भव नहीं। उसे सबकुछ एक साथ देखना पड़ सकता है। एक प्रशासक के रूप में, किस स्टाफ को कहां लगाना है यह भी देखना होता है। अपने कर्मचारियों की क्षमता को आँकने की ज़िम्मेदारी भी एक प्रशासक की होती है। कम से कम स्टाफ की उपलब्धता में अधिक से अधिक काम निकालवाने का दायित्व एक प्रशासक का होता है।

थाना स्तर पर कांस्टेबुलरी हमेशा वित्तीय कमी, जनता की ऊंची उम्मीदों और साहब के निजी काम करने की शिकायत करती है। उनके अनुसार हर काम के लिए पैसा उन्हें स्वंय खर्च करना पड़ता है, आपका इस पर क्या विचार और अपने अधिनस्थों को आप क्या सलाह देंगे?

मेरा इसमें बिल्कुल सीधा यह मत है कि जो वरिष्ठ अधिकारी अपने जूनियर अधिकारियों से कहते हैं कि भाई चल तू यह काम करवा के लेआए, मतलब जहाँ वह अपने जूनियर अधिकारी के पैसे खर्च करवाते हैं, वह पहले तो भ्रष्टाचार का रास्ता खोलते हैं और फिर अमानवीय भी है क्योंकि अगर घर का मुखिया घर के किसी काम के लिए अपने से छोटे लागों के पैसे खर्च कराने लगे और अपने बचाये तो वह अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहा है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि १५ वर्षों के थाना प्रभारी के पद पर मैंने कभी किसी स्टाफ से निजी तौर पर पैसे नहीं खर्च करवाये। यह अमानवीय है।

आपके विचार में एक आपराधिक जांच के दौरान पुलिस को सबूत जुटाने में आम तौर पर किस प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है? आपके अनुसार एक सफ़ल जांच की क्या विशेषताएं होनी चाहिए?

जाँच के बारे में मैं यह बताना चाहुँगा कि हमें जनता सहयोग नहीं करती है बिल्कुल सहयोग नहीं करती है। हमारे न्याय प्रक्रिया का सिद्धांत है कि ९९९ अपराधी को छोड़ना पड़े तो वह ठीक है लेकिन एक भी निर्दोष को दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। अब उसके लिए आवश्यक है कि जो लोग अपराध की जानकारी रखते हैं वह पुलिस की सहायता करें ताकि सही अपराधी को पकड़ा जा सके। अब होता यह है कि हमें सही गवाह कुछ नहीं बताते ऐसे में हमें गवाह बनाने पड़ते हैं क्योंकि चालान प्रस्तुत करना होता है। ऐसे में हम या तो परिवादी से गवाह की व्यवस्था करने को कहते हैं या फिर स्वंय गवाह की व्यवस्था करते हैं अब ऐसे में प्राकृतिक गवाही नहीं होती है और अपराधी छूट जाता है। फिर, कानून के अनुसार जो गवाह के साथ व्यवहार होना चाहिए वह भी हम उसको नहीं दे पाते अब उसे हम अदालत में ले जाते हैं तो वहीं दूसरी ओर आरोपी खड़ा होता है। इसलिए वह थाने तक आने में भी घबराते हैं क्योंकि उनके साथ कानून के अनुसार जैसे व्यवहार करना होता है वह नहीं कर पाते अब चाहे उसका कारण पुलिस की व्यक्तिगत कमियाँ हों या फिर अदालत में अनुकूल वातावरण और अवसंरचना न होने के कारण हो, ऐसे में गवाह हमें क्यों सहयोग करे? कई बार कोई गवाह को जब थाने बुलाया जाता है तो उसी समय संबंधित आई.ओ. को कोई अन्य आवश्यक केस के लिए घटना स्थल पर जाना पड़ता है। फिर वह गवाह जो थाने में उसके बुलाने पर आया है उसे दोबारा आना पड़ता है और ऐसे में उसकी रूचि समाप्त हो सकती है, इसका विपरीत प्रभाव उस केस को ही होगा जिसकी गवाही के लिए गवाह आया था।

जांच अधिकारी को अभियोजन का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? क्या किसी केस में जांच प्रारंभ करने के पहले अभियोजन से कोई मार्गदर्शन लिया जाता है?

जब एफ.आई.आर. दर्ज होती है तो उसकी एक कार्य योजना बनती है उसका एक प्रारूप होता है कि अब इसमें क्या–क्या करना है, उसके अनुसार आई.ओ. सबूत इकट्ठा करता है। मेडिकल हुआ है या नहीं, चोट कैसी है, हत्या का प्रयत्न है या केवल गंभीर चोट है उसके बाद गवाह का बयान कराते हैं और फिर चालान पेश कर देते हैं। जहां तक अभियोजन की बात है तो वह यह है कि यह हमारा सबसे कमज़ोर पहलु है। अभियोजन के पास समय ही नहीं होता है। जब हम चालान पेश करते हैं और अदालत में गवाही होती है तो उसका चालान से कोई तालमेल नहीं होता।

इस स्थिति में सुधार के लिए यह होना चाहिए कि जो पहले एक व्यवस्था थी १९८० तक उसमें यह होता था कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को लॉ में ग्रेजुएशन करवाया जाता था और फिर उन्हें सब–इंस्पेक्टर अभियोजन के रूप में अभियोजन कार्यालय में नियुक्त किया जाता था। वह पुलिस के दृष्टिकोण से केस को पेश कर पाता था। अभी अभियोजन के अंदर टीम भावना नहीं होती है उनका भाईचारा हमारे साथ न होकर वकील के साथ होता है। उन्हें कोई

शेष भाग पृष्ठ २ पर.....

बूझो और जीतो–३५

प्रिय पाठकों,

इस खण्ड के अंतर्गत, हमने जून २०१४ से इस प्रतिस्पर्धा को और अधिक रोचक और विशिष्ट बनाने के लिए, इसे एक खास विषय पर केन्द्रित करने का निर्णय लिया था। और, इस बार का विषय है "ज़मानत"। सभी प्रश्न इसी से संबंधित हैं। आशा है, आपको यह पद्धति पसंद आएगी और आप अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रूपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं :–

१. क्या किसी १५ वर्षीय बच्चे द्वारा किसी १६ वर्षीय बच्चे की हत्या के लिए उसे उम्रकैद का दण्ड दिया जा सकता है ?

२. क्या एक बच्चे द्वारा चोरी करने पर भी उसे तुरंत ज़मानत मिल सकती है ? यदि 'हाँ' किस प्रावधान के अंतर्गत ?

३. एक बच्चे को किन अपराधों के लिए अजीवन कारावास या मृत्यू दण्ड दिया जा सकता है ?

४. क्या किसी बच्चे को भी गिरफ़्तारी के बाद पुलिस लॉक–अप में रखा जा सकता है ?

५. क्या बच्चों की कोई अलग जेल होती है ? संबद्ध प्रावधान में क्या कहा गया है ?

बूझो और जीतो – ३२ का परिणाम :–

अगस्त २०१४ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं :–

१. हाँ, द.प्र.सं. की धारा ४७ के अनुसार पुलिस को यह अधिकार है कि जिस व्यक्ति को गिरफ़्तार करने का उसे अधिकार है यदि वह किसी के घर में घुस जाता है तो उसे तलाश करने के लिए वह किसी नागरिक के रिहाईशी घर में घुस सकती है और घर के मालिक का दायित्व है कि वह आरोपी की तलशी में पुलिस की मदद करे।

२. हाँ, द.प्र.सं. की धारा ४८ के अनुसार पुलिस को यह अधिकार है कि उसे जिस व्यक्ति को गिरफ़्तार करने का अधिकार है उसकी खोज में देश के किसी भी कोने में जा सकती है।

३. हाँ, द.प्र.सं. की धारा ४७ के प्रतिबंध के अनुसार पुलिस को यह भी अधिकार है कि वह आरोपी की तलाश में किसी ऐसे घर में भी घुस सकती है जहां केवल एक पर्दानशीन महिला रहती है, हांलाकि धारा १०० के अंतर्गत ऐसी स्थिति में उसे उस महिला को वहां से हटने का नोटिस और ऐसा करने का उचित अवसर देना होगा।

४. गिरफ़्तार व्यक्ति की शारीरिक तलाशी के समय यदि उसके पास सोने की चेन, घडी, पैसे प्राप्त होते हैं तो, द.प्र.सं. की धारा ५१ के अनुसार इन वस्तुओं को पुलिस के पास जमा कर लिया जाएगा और जब्त वस्तुओं की रसीद गिरफ़्तार व्यक्ति को दिया जाएगा।

५. द.प्र.सं की धारा ५१ (२) में कहा गया है कि जब कभी भी किसी महिला की शारीरिक तलाशी लेना आवश्यक हो तब कोई महिला ही उसकी शारीरिक तलाशी ले सकती है वह भी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए।

विजेता :

इस बार के विजेता हैं श्री शैलेन्द्र प्रसाद, हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस। उन्हें पुरस्कार की राशि शीघ्र ही भेज दी जाएगी।

ज़ीनत मलिक
प्रधान संपादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव
(सी.एच.आर.आई.)
चौथी मंज़िल, ५५ ए, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली-१६
फोन: ९१ ११ ४३१०८००, ४३१०२२५
फैक्स: ९१ ११ २६८६४६८८
ई-मेल: zeenatmalick@gmail.com
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

पुलिसिंग में वास्तविक गंदगी की सफ़ाई आवश्यक!

स्वच्छ भारत अभियान वास्तव में प्रेरक है, और निश्चित रूप से यह भी उचित है कि दिल्ली के थाने पहले साफ़ किये जाने वाले स्थानों में सम्मिलित हों। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंदिर मार्ग थाने में झाड़ू लगाने के बाद, दिल्ली पुलिस कमिश्नर एंव अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने एक दोपहर व्यतीत किया तिलक मार्ग थाने को साफ़ करते हुए। गृह मंत्रालय और पुलिस प्रमुख दोनों ने ही दिल्ली के सभी १८१ थानों में सफ़ाई अभियान जारी रखने के लिए निर्देश जारी कर दिया है।

वास्तव में, सार्वजनिक स्थानों की श्रृंखला में थाने बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इन्हें काफ़ी लंबे समय से नज़रअंदाज़ किया गया है। स्वच्छ परिसर जनता को स्वागत और सुरक्षित महसूस कराने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा इसलिए, यह एक लगातार जारी रखी जाने वाली प्रक्रिया और कोशिश होनी चाहिए। लेकिन जब हम पुलिसिंग की सर्वांगीण अवस्था को देखते हैं, तो यह आभास होता है कि थाना परिसर की सफ़ाई तो बाहरी गंदगी को हटाने का सबसे सरल भाग है। पुलिसिंग को लगातार नुकसान पहुँचाने वाली व्यवस्थागत बुराईयाँ अधिक महत्वपूर्ण हैं, और यहां वास्तविक और अथक 'सफ़ाई' की सबसे अधिक ज़रूरत है। पुलिसिंग के कुछ प्राथमिक क्षेत्र जहां अति शीघ्र सफ़ाई की आवश्यकता है वह यहां दर्शाई जा रही हैं।

थानों में पुलिस की सेवा अवस्था परिवर्तन की गुहार लगा रही है। लंबी कार्य अवधि, अत्यधिक कार्यभार ग्रस्त पुलिसकर्मी जो कानून व्यवस्था और जांच दोनों को ही संभाल रहे हैं, सशक्त महिला पुलिस की आवश्यकता, आरक्षकों के लिए पदोन्नति के बेहतर अवसर, पुलिस की युक्तिपूर्ण योजना का विकास, भर्ती और प्रशिक्षण को मज़बूत करना, पुलिस का राजनेताओं से उचित रूप से अलगाव, ये हिमशैल का केवल शीर्ष हैं। इनमें से कुछ के लिए कानून में बदलाव की आवश्यकता है, कुछ को प्रशासनात्मक कृपादृष्टि की ज़रूरत है, लेकिन समग्र रूप में देखा जाए तो सभी को राजनैतिक और पुलिस नेतृत्व द्वारा विश्वसनीय सुधार प्रक्रिया से होकर गुज़रने की आवश्यकता है।

उसके बाद पुलिस की सर्विस डिलिवरी और कानून का पालन है। क्या अब तक चल रही सफ़ाई पुलिस हवालातों को गैरकानूनी क़ैद से स्वतंत्र करना सुनिश्चित कर सकेगी, यह सुनिश्चित करेगी कि सभी गिरफ़्तारियाँ वैधानिक हों, कि डी.के. बासु दिशा–निर्देश स्पष्ट रूप से लगे हुए हैं, कि सभी शिकायतकर्ताओं को एफ.आई.आर. की मुफ़्त कॉपी बगैर विलंब प्राप्त हो रही है, किसी भी गवाह/शिकायतकर्ता और जनता के सदस्य को अपमानित और प्रताड़ित नहीं किया जाता है या उन्हें किसी थाने में लंबी अवधि तक प्रतीक्षा नहीं करवाया जाता है, महिला सहायता डेस्क और किशोर अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, रिश्वत नहीं ली जाती है?

लापरवाही का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है पुलिस द्वारा, पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध जनता की शिकायतों को देखना। इसकी संख्या आश्चर्यजनक है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाईन को महीने में २३००० शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और सतर्कता विभाग को भ्रष्टाचार के तकरीबन १००० शिकायतें प्रतिदिन मिलती हैं। भ्रष्टाचार के अलावा, एन.सी.आर.बी. के २०१३ के आँकड़े हमें बतलाते हैं कि २०१३ में देश भर में, दिल्ली में पुलिसकर्मियों द्वारा ज़्यादती और दुर्व्यवहार की सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त की गई। इसके बावजूद, किसी भी ऐसे अधिकारी के विरूद्ध कोई केस दर्ज नहीं किया गया जिसके विरूद्ध शिकायत की गई थी। इसे सी.एच.आर.आई द्वारा फरवरी २०१४ में आर.टी.आई. के अंतर्गत मांगी गई सूचना के उत्तर से भी सत्यापित किया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि २०१३ में विभाग के १२००० से भी अधिक अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थी लेकिन सभी मामलों में विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है। शायद, इसका एक बड़ा कारण यह है कि दिल्ली में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पुलिस के विरूद्ध शिकायतों को सुनने के लिए अलग से पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है बल्कि इस रिक्तता को भरने के लिए पहले से ही कार्यरत लोक शिकायत आयोग को यह दायित्व दे दिया गया है। इसके बारे में यह कहना भी सत्य होगा कि यह विभाग पहले से ही अपने कार्य भार के तले दबा हुआ है और इसका गठन उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नहीं है और इस लिए यह इन केसों की सुनवाई करने में सक्षम भी नहीं है।

संक्षेप में, यह कहना पर्याप्त होगा कि जहां पुलिसिंग में सर्वांगी कमियाँ विद्यमान है वहां किसी एक शहर के एक–दो थाने में राजनेताओं या पुलिस अधिकारियों द्वारा झाड़ू लगाने से पुलिसिंग में कहीं कोई स्वच्छता नहीं आएगी और न ही इन अधिकारियों को ऐसा करने की ज़रूरत है, इस काम के लिए अन्य लोग नियुक्त हैं।

वर्तमान सरकार और इसके राजनैतिज्ञ वर्ग में यदि पुलिसिंग व्यवस्था की गंदगी को दूर करने के लिए वास्तविक रूप से कर्तव्यबद्धता और ईच्छाशक्ति है तो सबसे पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह के केस में दिये गये निर्देशों को अक्षरतः शत प्रतिशत कम से कम केन्द्र शासित राज्यों में अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में लागू करके दिखाये। क्योंकि, पुलिसिंग में स्वच्छता लाने की प्रतिबद्धता की ओर यह राजनैतिक परीक्षण सिद्ध होगा।

– तहमीना लस्कर

पृष्ठ १ का शेष भाग.....

फर्क नहीं पड़ता है कि आरोपी बरी हो रहा है या पकड़ा जा रहा है। एक थाने में ४०० से भी अधिक केस हो सकते हैं और अभियोजन का एक वकील है अब वह भी कैसे प्रत्येक केस पर ध्यान दे पाएगा। अब जो निर्भया का केस था उसमें अगर गवाह ने गवाही नहीं दी होती तो क्या केस में सज़ा हो सकती थी। इसलिए गवाह से लेकर जांच अधिकारी और अभियोजन सभी को अपनी भूमिका ठीक प्रकार से निभानी होती है तभी केस में दोषी को दण्ड मिल पाता है।

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि महिलाओं पर हुए अपराधों की जांच के महिला अधिकारी को जांच का दायित्व देने से बेहतर परिणाम आएंगे?

हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि एक महिला पीड़िता से संबंधित केस में जांच, महिला अधिकारी द्वारा ही होनी चाहिए क्योंकि अगर मैं उससे बयान लूँगा तो वह मुझसे खुलकर सारी बातें नहीं बता पाएगी और फिर अगर मुझे उस केस पर जांच करना हो तो मुझे महिला अधिकारी के वक्तव्य पर निर्भर रहना पड़ेगा और मुझे लगता है कि इसमें असली बात सामने नहीं आ पाएगी।

क्या आपके विचार में, पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए? क्या इससे पुलिस को फायदा होगा?

मैं इससे आंशिक रूप से सहमत नहीं हूँ। अगर हमें अधिक महिला कर्मियों की आवश्यकता हो तो हम उन्हें दूसरे थाने से भी मंगा सकते हैं। एक थाने में ३-४ महिला कांस्टेबल होना ठीक है। लेकिन, अभी जो ३३ प्रतिशत महिलाओं को भर्ती करने की बात चल रही है वह मुझे उचित नहीं लगता है क्योंकि उनकी एक क्षमता है, वह रात को गश्त नहीं कर सकती हैं, उन्हें मातृत्व अवकाश भी लेने की आवश्यकता होगी और ऐसे में उनके जाने के बाद वह जिस काम को कर रही थीं उसकी ज़िम्मेदारी भी हमारे शेष पुलिसकर्मियों पर आ जाएगी। फिर हर थाने के लिए जनबल निश्चित होते हैं, इसमें यदि ३३ प्रतिशत महिलाएं आ जाएंगी तो जब वह अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करके अवकाश लेंगी तो हमारे थाने का कार्य भार तो कम नहीं होगा, उसे कौन संभालेगा। अभी जो महिलाएं हैं वह सक्षम तो हैं लेकिन वह मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं कि पुलिस में उन्हें भी अन्य पुलिसकर्मियों की ही तरह रोस्टर में सभी प्रकार के काम करने पड़ेंगे। वह यह भी अपेक्षा करेंगी की उन्हें ६ बजे छुट्टी दे दिया जाए क्योंकि शाम को उन्हें घर के काम भी करने हैं। और अभी हमारा समाज भी महिलाओं को फील्ड के काम में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

अगर मैं किसी महिला को रात में वायरलेस ड्यूटी करने को कहूँ तो हो सकता है वह पहले मेरी शिकायत करे कि यह एस.एच.ओ. पता नहीं क्या चाहता है जबकि यह रूटीन कार्य है। अगर महिलाएं आ रही हैं तो उनको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा कि वह रोस्टर में आने वाली सभी भूमिकाओं को निभाएंगी। उसके बाद हमारे यहां स्टाफ की कमी है जिसे पहले पूर्ण किया जाना चाहिए तभी महिलाओं की अधिक संख्या को साकारात्मक लिया जा सकता है।

अपने पर्यवेक्षक की भूमिका का दायित्व आप किस प्रकार निभाते हैं?

आई.ओ. के पास जो विचाराधीन केस होते हैं, विचाराधीन जाँच होती है रोज़ हमारी उनके साथ सुबह में समीक्षा होती हैं। अगले दिन क्या बंदोबस्त ड्यूटी होनी है। कहाँ क्या काम आना है, इन सब पर चर्चा होती है, दिन भर क्या काम हुआ है आदि। प्रत्येक दिन सुबह १० बजे और शाम ५ बजे यह समीक्षा होती है जिसके बारे में बाहर वालों को पता भी नहीं होता है।

क्या आपके विचार में अपराधों और अपराधियों को रोकने में अधिक तत्परता के लिए पुलिस प्रक्रिया संबंधित कानूनों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है?

मुझे यह लगता है कि जो पहले यह था कि अगर आपको कोई व्यक्ति रात के समय आवारा अकारण घूमता दिखता है तो उसे पुलिस संदिग्ध होने के आधार पर गिरफ़्तार कर सकती थी जबकि अब उच्चतम न्यायालय ने उसे बंद करा दिया है। जबकि, अकारण घूमते हुए व्यक्ति को शक के आधार पर पुलिस को गिरफ़्तार करने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि ऐसा न होने के कारण अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। जैसे हम रात में गश्त में हैं और हमें किसी सामने से आ रहे है व्यक्ति पर शक होने के बावजूद भी हम उसे गिरफ़्तार नहीं कर सकते। अब आप महरौली में रहते हो और रात को गाज़ियाबाद में घूमते हुए पाये जाते हो, न आप किसी से मिलने आये हो, न कोई पहचान का है तो आप गलत नीयत से ही घूम रहे होंगे, उसको रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं है और परिणाम आप देख रहे हो, डेढ़ करोड़ की लूट करके लड़के भाग गये, आपकी दिल्ली में ही ए.टी.एम. वैन से।

क्या आप जानते हैं?

इस श्रृंखला के अंतर्गत, इस बार उच्चतम न्यायालय द्वारा *अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य एंव अन्य* के केस के निर्णय में २ जुलाई २०१४ को दिये गये निर्देशों को प्रस्तुत किया जा रहा है। इन निर्देशों का महत्व इसलिए और अधिक है क्योंकि आमतौर पर किसी संज्ञय और अज़मानती अपराध के लिए एफ.आई.आर. दर्ज हो जाने पर आरोपी की गिरफ़्तारी निश्चित होती है। लेकिन, यहां उच्चतम न्यायालय ने केवल कानून के अनुसार आवश्यकता होने पर ही आरोपी की गिरफ़्तारी करने को कहा है।

सात वर्षों के कारावास वाले अपराधों में तुरंत गिरफ़्तारी नहीं!

अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य एंव अन्य के केस में अर्नेश कुमार पर उसकी पत्नी ने भ.द.सं. की धारा ४९८क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा ४ के अंतर्गत दहेज के लिए प्रताड़ित करने का केस दायर किया था। इन धाराओं के अतंर्गत दोषसिद्धि होने पर अधिकतम दण्ड ७ वर्षों तक के कारावास का हो सकता है।

निचली अदालतों में आरोपी द्वारा दायर किये गये पूर्वाभासी ज़मानत के आवेदन को रद्द कर दिया गया था और इसलिए उसने उच्चतम न्यायालय में इसके लिए विशेष अवकाश याचिका दायर की थी। यहां अदालत ने उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया और अपने निर्णय में वैवाहिक झगड़ों में उक्त धाराओं के दुरूप्योग के बारे में भी टिप्पणी की और कहा कि धारा ४९८क के अंतर्गत चार्जशीट का दर ९३.६ प्रतिशत तक है जबकि इनमें दोषसिद्धि केवल १५ प्रतिशत है जोकि अन्य अपराधों में सबसे कम है। यह सच है कि गिरफ़्तारी से समाज में बदनामी होती है।

अनावश्यक गिरफ़्तारियों के बारे में अवलोकन करते हुए अदालत ने कहा कि 'विधि आयोग, पुलिस आयोग और इस अदालत ने गिरफ़्तारी के समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाजिक व्यवस्था में संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। पुलिस अधिकारी इसलिए गिरफ़्तारी करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास इसकी शक्ति है। – हम विश्वास करते हैं कि कोई भी गिरफ़्तारी केवल इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि अपराध अज़मानती और संज्ञय है और इसलिए पुलिस के लिए ऐसा करना वैधानिक है। गिरफ़्तार करने की शक्ति प्राप्त होना एक बात है और इसके प्रयोग के लिए औचित्य होना बिल्कुल अलग। पुलिस अधिकारियों के पास इसका कारण होना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी के लिए यह अक्लमंदी की बात होगी कि वह इस आवश्यकता के बारे में प्राथमिक जांच करके और फिर निर्णय ले, केवल अपराध के आरोप पर कोई गिरफ़्तारी नहीं होनी चाहिए।'

इसके बावजूद, विधायिका को सुधार कहीं दिखाई नहीं दिया और। अंत में, २०११ में विधि आयोग के १७७वें रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के अनुसार द.प्र.सं. की धारा ४१ में संशोधन किया गया था। इस प्रकार की सिफारिशें आयोग के १५२ और १५४वें रिपोर्ट में भी की गयी थीं। अदालत ने कहा 'हम वर्तमान अपील में द.प्र.सं. कि धारा ४१ उपधारा (१)(ख) से संबंधित है जिसमें अधिकतम दण्ड ७ वर्षों का कारावास और दण्ड हो सकता है। इस धारा को सीधे पढ़ने से पता लगता है कि किसी व्यक्ति पर यदि जुर्माने के साथ या उसके बगैर ७ वर्ष तक या इससे कम के कारावास के दण्ड वाले अपराध का आरोप हो तो उसे पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। इन केसों में पुलिस अधिकारियों को इस बात से सुतंष्ट होना होगा कि इस व्यक्ति को गिरफ़्तार करना उसे आगे अपराध करने से रोकने के लिए, केस के उचित जांच के लिए सबूतों को ग़ायब कराने या किसी भी ढ़ंग से इन सबूतों से छेड़–छाड़ से रोकने के लिए, या उस व्यक्ति को गवाहों को धमकाने, फुसलाने और उनसे पुलिस या अदालत के समक्ष सच न बताने का वादा लेने से रोकने के लिए और बगैर गिरफ़्तारी के जब अदालत में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।' इन सारे कारणों में से गिरफ़्तारी के लिए जो भी उचित हो उसे लिखित मे दर्ज करना भी कानूनी अनिवार्यता है।

आगे अदालत ने कहा कि इस निर्णय में हमारा प्रयत्न यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस अधिकारी आरोपी की गिरफ़्तारी अनावश्यक रूप से न करे और मजिस्ट्रेट कैद को मशीनी ढ़ंग से अधिकृत न करें। यह सुनिश्चित करने के लिए हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं :

१. सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दें कि वह अपने पुलिस अधिकारियों से कहें कि जब भ.द.सं. की धारा ४९८क के अंतर्गत केस दर्ज किया जाए तो स्वतः ही गिरफ़्तारी न करें बल्कि द.प्र.सं. की धारा ४१ के अंतर्गत निर्धारित मानदण्ड के अनुसार गिरफ़्तारी की आवश्यकता के बारे में स्वंय को संतुष्ट करें ;

२. सभी पुलिस अधिकारियों को धारा ४१ की उपधारा (१)(ख)(ii) के अंतर्गत उल्लेखित चेकलिस्ट दिया जाना चाहिए ;

३. पुलिस अधिकारी जब आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने आगे हिरासत के लिए प्रस्तुत करेगा तो यथावत् रूप से दर्ज किये गये चेकलिस्ट और जिन कारणों और तथ्यों के आधार पर गिरफ़्तारी किया गया है वह भी लिखित रूप में पेश करेगा;

४. मजिस्ट्रेट, आरोपी की हिरासत अधिकृत करते समय पहले बतलाए अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा जमा किये गये रिपोर्ट को देखेंगे और अपनी संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही वह हिरासत अधिकृत करेंगे ;

५. आरोपी को गिरफ़्तार न करने के निर्णय के बारे में सूचना केस के प्रारंभ होने के २ सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को देनी चाहिए। ज़िले के पुलिस अधिक्षक द्वारा लिखित कारण के साथ केस की प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट को भेज कर इसे बढ़ाया जा सकता है ;

६. द.प्र.सं. की धारा ४१क के अनुसार आरोपी को उपस्थित होने का नोटिस केस प्रारंभ होने के दो सप्ताह के भीतर दिया जाना चाहिए, जिसे ज़िले के पुलिस अधिक्षक द्वारा लिखित में कारण दर्ज करके बढ़ाया जा सकता है ;

७. पहले कहे निर्देशों को मानने में असफ़ल होने पर संबंधित पुलिसकर्मी के विरूद्ध न केवल विभागीय कार्यवाही की जाएगी बल्कि उन्हें अदालत की अवमानना के लिए भी दण्डित किया जाएगा जिसे संबंधित प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय में प्रारंभ किया जाएगा ;

८. जैसा कि पहले कहा गया है, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बगैर कारण दिये हुए, हिरासत अधिकृत करने पर संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी ;

अदालत ने यह भी कहा कि उपरोक्त निर्देशों का पालन न केवल भ.द.सं. की धारा ४९८क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा ४ की शिकायतों में किया जाना चाहिए बल्कि इसे जुर्माने के साथ या इसके बगैर, ७ वर्षों तक के कारावास के दण्ड वाले केसों में भी लागू किया जाना चाहिए।

अदालत ने यह भी कहा कि इस निर्णय की प्रतिलिपि, अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के लिए सभी राज्य और केन्द्र शासित राज्यों के गृह सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों को भेजी जानी चाहिए।

उपरोक्त अवलोकन, टिप्पणीयों और निर्देशों के जारी करने के पहले ही इस अपील को मानते हुए अदालत ने कुछ शर्तों पर अपीलार्थी अर्नेश कुमार को ३१ अक्तूबर २०१३ को ही तत्कालीक ज़मानत दे दी थी।

– प्रस्तुति : ज़ीनत मलिक

आपके विचार

महोदया

नमस्कार!

लोक पुलिस पत्रिका के सितंबर का अंक पिछले दिनों पढ़ने को मिला था। इसमें साक्षात्कार के अंतर्गत मानव तस्करी के केसों में महिला पुलिस कर्मियों की आवश्यकता और अन्य महिलाओं से संबंधित केसों में भी केवल महिला जांच अधिकारी नियुक्त न करने की आवश्यकता से मैं सम्मति रखता हुँ।

मैं भी कई केसों में महिलाओं के विरूद्ध हुए अपराधों में जांच के दौरान इंस्पेक्टर साहब को सहयोग करता हुँ। और, मेरे विचार में पीड़िता को केवल पुरूषों के समक्ष बयान दर्ज कराने में कई बार थोड़ी झिझक होती है अन्यथा जांच के दौरान हमारी ओर से उनके विरूद्ध हुए अपराधों की जांच में कोई दोहरा बर्ताव नहीं होता है। इसलिए, पुलिस अधिकारी को योग्य होने पर महिला और पुलिस के भेद भाव के बगैर जांच का दायित्व दिया जाना चाहिए। आजकल हमें प्रशिक्षण के दौरान भी जेन्डर संवेदीकरण पर प्रशिक्षण दिलवाया जाता है, कार्यशालाएं आयोजित करवाई जाती हैं। ऐसे में हमारे लिए कोई अपराध यदि महिला पर किया जाता है तो हम और अधिक सावधानी रखने का प्रयास करते हैं। जांच के अनुभव और योग्यता के अलावा और कोई मानदण्ड उचित नहीं होना चाहिए, मैं भी भविष्य में किसी ऐसे केस की जांच करना चाहुँगा।

आशा है इस दृष्टिकोण पर अधिकारी ध्यान देंगे।

धन्यवाद!
हेड कांस्टेबल, जयपुर शहर
सदस्य, राजस्थान पुलिस

संपादिका जी,

प्रणाम!

सितंबर के ***लोक पुलिस*** में उच्चतम न्यायालय द्वारा गुजरात राज्य बनाम किशन भाई आदि, क्रिमनल अपील नं २००८ के १४८५. के केस में जारी निर्देशों की प्रस्तुति बेहद रोचक ढ़ग से की गई है। ऐसे निर्णयों का तत्काल समावेश सभी पुलिसकर्मियों के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। यदि हमें अन्य अधिसूचनाओं की जानकारी भी पत्रिका के द्वारा ही प्राप्त हो सके तो यह बहुत सहायक सिद्ध होगा।

धन्यवाद!
कांस्टेबल, सूरत
सदस्य, गुजरात पुलिस

पुलिस समाचार – हर कोने की हलचल

नाबालिग से थाने में झाड़ू लगवाया

टुंडला पुलिस ने नाबालिग से थाने में झाड़ू लगवाया। एक ओर भारत के एक ज़िम्मेदार व्यक्ति को बाल मज़दूरी के विरूद्ध लगातार संघर्ष करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वहीं अपने देश की पुलिस के भीतर बच्चों से काम न करवाने की संवेदना शायद अब तक नहीं जगी है। आमतौर पर बच्चों के प्रति पुलिस द्वारा कई प्रकार के संवेदनहीन कृत्यों के दृश्य देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रवृत्ति का एक उदाहरण तब देखने को मिला जब फिरोज़ाबाद ज़िले के टुंडला थाने में एक १२ वर्षीय बच्चे से झाड़ू लगाने का काम स्वंय कानूनों के अनुपालन करने वाले पुलिसकर्मी द्वारा थाना परिसर में किया गया। इस घटना पर कठोर प्रतिक्रिया देते हुए, श्रम विभाग ज़िम्मेदार पुलिस अधिकारी के विरूद्ध नोटिस जारी करने को तैयार है। एक इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है।

रिपोर्टों के अनुसार, टुंडला के मोहम्मदपुर गांव के बाबूराम, टुंडला कोतवाली में वॉचमैन और सफ़ाईकर्ता के तौर पर काम करते थे। ४० वर्षीय बाबूराम वहां कई महीनों से यह काम कर रहा था। बुधवार को वह काम पर नहीं जा सकता था इसलिए उसने ५वीं कक्षा में पढ़ने वाले अपने बेटे से इसके लिए छुट्टी की अर्जी थाना प्रमुख को देकर आने को कहा।

जब वह नाबालिग बच्चा वहां पहुँचा तो उन्होंने कथित रूप से उसका मज़ाक बनाया, और वह सारे काम करवाये जो उसके पिता किया करते थे – झाड़ू लगाना, फर्नीचरों पर से धूल साफ़ करना, फर्श से पेंट के निशान खुरच कर निकालना। हांलाकि, इस पर टिप्पणी करने के लिए, स्थानीय पत्रकारों ने थाना प्रमुख से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। और इस बात की रिपोर्ट सहायक श्रम आयुक्त राजेश मिश्रा से की गई। अधिकारी लड़के के घर उसका बयान दर्ज करने के लिए पहुँचे। जांच के लिए ए.एल.सी. के साथ फिरोज़ाबाद के एस.पी. अजय मोहन ने टुंडला के सी.ओ. कहर सिंह को भी भेजा है। लड़के के माँ–बाप ने ए.एल.सी. को बताया कि उनके बेटे की उम्र १२ वर्ष है। बच्चे ने कमिश्नर को बताया कि पुलिसकर्मियों ने रूखाई से उसके पिता के काम करने को कहा था। कमिश्नर ने बताया कि वह थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस भेजेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चे के माँ–बाप को भी वह उसके आयु का सही प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए नोटिस भेजेंगे।

हांलाकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए और मीडिया में रिपोर्ट के बाद फिरोजाबाद के एस.पी. ने कांस्टेबल भुपेन्द्र सिंह, जो ड्यूटी पर मौजूद था और जिसने कथित रूप से लड़के से झाड़ू लगाने को कहा था और इंस्पेक्टर रामवीर सिंह को कांस्टेबल के विरूद्ध कार्यवाही न करने के कारण सस्पेंड कर दिया है।

एक नाबालिग से पुलिसकर्मी द्वारा ही मज़दूरी करवाना बेहद शर्मनाक है। लेकिन, यह कोई एक घटना नहीं है बल्कि नित ऐसे आचरण पुलिसकर्मियों द्वारा देखने को मिल सकते हैं। यह बात और है कि इस केस के मीडिया में आने से शायद कुछ हद तक पुलिसकर्मियों को ऐसी हरकतों से परहेज़ करने की ज़रूरत महसूस हो सके। लेकिन, इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि श्रम विभाग अपनी ओर से कानूनी कार्यवाही में तत्परता जारी रखे और दोषी पुलिसकर्मियों को दण्ड देकर अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करे।

(सौजन्य : द हिन्दु डॉट कॉम, १६ अक्तूबर २०१४)

उत्तर प्रदेश पुलिस : ९ महीनों में ५२४ हस्तांतरण

केन्द्र सरकार ने २८ जनवरी २०१४ को आई.पी.एस. कैडर संशोधन नियमावलि २०१४ पास करके आई.पी.एस. अधिकारियों की नियुक्ति न्यूनतम २ वर्षों के लिए तय कर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, इस नियम का उल्लंघन प्रतिदिन हो रहा है।

आर.टी.आई कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा प्राप्त सूचना से ज्ञात होता है कि ३० जनवरी २०१४ से सितंबर तक प्रदेश सरकार द्वारा, नये नियम के पास होने के बाद केवल ९ महीनों के अंतराल में ८६ आई.पी.एस. अधिकारियों के हस्तांतरण आदेश दिये गये हैं। कुल ५२४ अधिकारियों का हस्तांतरण किया गया। इस प्रकार ७ जून के एक ही आदेश द्वारा ५२ अधिकारियों का हस्तांतरण किया गया था। जबकि, नये नियमों के विपरीत, इस प्रकार हस्तांतरण का कोई कारण नहीं बतलाया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल ४०५ आई.पी.एस. अधिकारी हैं और एक अधिकारी का पिछले ९ महीनों में १.२ बार हस्तांतरण हुआ है। हांलाकि, नियमों के अनुसार न्यूनतम २ वर्षों तक इन्हें एक ही स्थान पर नियुक्त रखा जाना चाहिए।

यह तो केवल एक प्रदेश का उदाहरण है लेकिन ऐसी स्थिति कई राज्यों में है और इसका समाधान बहुत हद तक उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित पुलिस संस्थापना बोर्ड के अस्तित्व में निहित है और इसे अति शीघ्र कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता है।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, २५ अक्तूबर २०१४)

तमिलनाडु को मिले नये पुलिस महानिदेशक

१९८२ बैच के आई.पी.एस. अधिकारी, श्री अशोक कुमार, तमिलनाडु पुलिस बल के नये पुलिस महानिदेशक नियुक्त किये गये हैं। उनके पहले प्रदेश पुलिस प्रमुख श्री के. रामानुजम थे।

श्री रामानुजम को एक वर्ष के लिए या जब तक इसकी आवश्यकता समाप्त नहीं होती है, इनमें से जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए सरकार का परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। नये डी.जी.पी. पर निर्णय पिछले सप्ताह लोक सेवा आयोग द्वारा सरकार को दी गई सिफ़ारिश के बाद लिया गया।

हांलाकि, श्री कुमार कुछ ही महीनों में सेवानिवृत होने वाले हैं, लेकिन वह उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार दो वर्षों तक पद पर बने रहेंगे। २००६ के प्रकाश सिंह के केस के निर्देश में अदालत ने कहा था कि डी.जी.पी. के पद पर न्यूनतम २ वर्षों के लिए नियुक्ति की जानी चाहिए, सेवानिवर्तन से भी इस नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि तमिलनाडु के इससे पहले डी.जी.पी. श्री रामानुजम की नियुक्ति भी दो वर्ष पूर्व इसी प्रकार उनकी सेवानिवृति के कुछ महीनों पूर्व ही प्रदेश पुलिस प्रमुख के पद पर दो वर्षों तक के लिए की गई थी।

प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किया जाना अच्छी बात है यदि प्रदेश इसी प्रकार अदालत के अन्य ६ निर्देशों का भी पालन करती है।

(सौजन्य : द हिन्दु डॉट कॉम, ३ नवंबर २०१४)

पुलिस भर्ती को वेबसाइट पर, स्मार्ट फोन पर देखें!

ट्रैफिक कांस्टेबल समपथ की बीवी, अपने घर में रह कर अपने पति की भर्ती प्रक्रिया को अपने स्मार्ट फ़ोन पर देख सकी। समपथ ने सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक परिक्षा के समय मंगला स्टेडियम में कैसे जम्प लगाई या फिर कैसे दौड़े। दरअसल, कांस्टेबल सम्पथ की पत्नी उन लोगों में से एक थी जिसे २७ अक्तूबर से प्रारंभ हुए सब इंस्पेक्टर और रिज़र्व सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया की वेब स्ट्रीमिंग से जोड़ा गया था। राज्य के १६ केन्द्रों में से मैंगलोर भी एक केन्द्र है जहां २३३ सब इंस्पेक्टर और ५२ रिज़र्व सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया २७-३१ अक्तूबर तक पूरी गई। वेब द्वारा भर्ती प्रक्रिया को देखने की सुविधा का प्रारंभ चयन में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया था।

चयन समिति के अध्यक्ष आई.जी. (पश्चिम रेंज) अमृत पॉल, ने कहा कि वेब स्ट्रीमिंग भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की ओर एक कदम है। "हम पिछले कुछ वर्षों से प्रक्रिया को सी.सी.टी.वी. कैमरों पर देख रहे हैं। अब इस फुटेज को वेब से जोड़ दिया गया है ताकि दूसरे भी इसे देख सकें... यह फुटेज वीडियोग्राफी प्रक्रिया के अतिरिक्त है।"

इस स्थान पर तकरीबन ७ सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए गये हैं। स्प्रिंट ट्रैक पर, लॉन्ग जम्प, हाई जम्प और शॉट पुट साईट पर एक–एक लगाया गया है। एक कैमरा स्टेडियम की उस गैलरी के भाग में लगाया गया है जहां प्रत्याशियों की लम्बाई और वज़न को मापा जाएगा। और अंतिम कैमरा वहां लगाया गया है जहां इनके दस्तावेज़ों की पड़ताल होती है। इन सभी कैमरों के इमेज को वास्तविक समय में एक वेबसाईट www.hik-online.com पर या फोन पर एक ऐप डाऊनलोड करके देखा जा सकता है। देश भर में, केवल मैंगलोर के इस भर्ती केन्द्र द्वारा ही वेब स्ट्रीमिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

यदि पुलिस की भर्ती के दौरान भ्रष्टाचार की समाचार रिपोर्टों वाले राज्यों में इस पद्धति को शीघ्रतापूर्वक लागु कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा भाग समाप्त हो सकता है। थाना स्तर पर सीधे भर्ती की प्रक्रिया के सभी चरणों की वीडियोग्राफी होनी चाहिए बल्कि इसे लाईव देखे जाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाने चाहिए।

(सौजन्य : द हिन्दु डॉट कॉम, ३ नवंबर २०१४)

हम, *लोक पुलिस* के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, *लोक पुलिस* में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान संपादक : ज़ीनत मलिक, चौथी मंज़िल, ५५ ए, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली-११००१६, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००ए फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, वेबसाईटः http//www.humanrightsinitiative.org